



पत्रांक: ९९५ / वि०जा०वि०मं० / मेरठ / टी-२

दिनांक :- 08 / 07 / 2024

विज्ञापन व्यवस्थापक
दैनिक जागरण,
मेरठ।

विज्ञापन व्यवस्थापक
धारा न्यूज,
मेरठ।

प्रति-

महोदय,

- कृपया निविदा सूचना एक बार अपने प्रतिष्ठित दैनिक समाचार पत्र में "कम से कम स्थान में" (हिन्दी भाषा 08-10 प्वाइन्ट टाईप में समाचार पत्र केवल एक ही कॉलम में) दिनांक 09.07.2024 या अगले संस्करण में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें। यदि कई निविदायें एक साथ प्रकाशित की जानी हैं, तो हैंडिंग व नीचे का नाम व पता की पुनरावृत्ति न की जाये। निविदाओं के मध्य स्पष्ट सीमांकन किया जाये तथा एक ही लाईन में रनिंग मैटर के रूप में कम से कम स्थान में प्रकाशित करें।
 - प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति प्रकाशन हेतु सामग्री की मूल प्रति के साथ विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में अग्रिम भुगतान प्राप्ति टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण बाउचर प्रतियाँ संलग्न करते हुए प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि० मेरठ/अधोहस्ताक्षरकर्ता को (जहाँ भुगतान क्षेत्रीय स्तर पर होना है) प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम प्रति के स्थान पर छायाप्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव नहीं होगा।
 - विज्ञापन प्रकाशित होते ही अग्रिम कार्य दिवस को ही प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ भेज दी जाए, अन्यथा बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
 - विज्ञापन के अन्त में सबसे नीचे छोटे टाईप में "राष्ट्रहित में बिजली बचायें" का नारा तथा विज्ञापन आदेश की संख्या व दिनांक अवश्य ही प्रकाशित करें।
 - यदि आपको सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग उ०प्र० तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हो तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
 - उक्त निर्देशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में निगम द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।
 - विज्ञापन बीजक के साथ डी०ए०वी०पी० दर की नवीनतम प्रति तथा पावर कारपोरेशन द्वारा दिये गये मान्यता की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। अन्यथा भुगतान किया जाना संभव नहीं होगा।
- संलग्नक :- ई-निविदा सूचना प्रथम एवं द्वितीय प्रति।

पत्रांक: ९९५ / वि०जा०वि०मं० / मेरठ / टी-२

प्रतिलिपि विज्ञापन सामग्री सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य अभियन्ता (जानपद), पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- अधीक्षण अभियन्ता (वाणिज्य), कार्यालय प्रबन्ध निदेशक, प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ।
- अधिशाली अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण खण्ड, मेरठ।
- जनसम्पर्क अनुभाग, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
- नोटिस बोर्ड, कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत जानपद वितरण मण्डल, मेरठ।

ई० पी० कोशल
(वी० पी० कोशल)
अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)
विद्युत जानपद वितरण मण्डल
प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ
दिनांक :- 09 / 07 / 2024

08/07/24
(वी० पी० कोशल)
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत जानपद वितरण मण्डल
प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ



पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि०

अल्पकालिक ई-निविदा सूचना


अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्यो हेतु अल्पकालिक ई-निविदा दो भागों (प्रथम एवं द्वितीय) में ऑनलाइन आमंत्रित की जाती है। अधोलिखित आमन्त्रित ई-निविदा में प्रतिभाग करने की अन्तिम तिथि 25.07.2024 एवं समय 17:00 बजे होगी एवं निविदा के प्रथम भाग खोलने की तिथि 26.07.2024 एवं समय 15:00 बजे निर्धारित है।

(1) निविदा विशिष्टीकरण संख्या:-20/वि०जा०वि०मं०/मेरठ/2024-25: उपखण्ड अधिकारी (जानपद) विद्युत जानपद वितरण उपखण्ड, मुजफ्फरनगर हेतु डीजल चलित वाहन (चालक सहित) किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य। निविदा शुल्क रू० 1180.00 (जी०एस०टी० सहित) धरोहर धनराशि रू० 3,400.00। कार्य अवधि-08 माह।

(2) निविदा विशिष्टीकरण संख्या:-21/वि०जा०वि०मं०/मेरठ/2024-25: 33/11 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र छुटमलपुर जिला सहारनपुर पर आवासीय भवन में संचालित उपखण्ड कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार का कार्य। निविदा शुल्क रू० 1180.00 (जी०एस०टी० सहित) धरोहर धनराशि रू० 17,000.00। कार्य अवधि-03 माह।

कृपया विस्तृत जानकारी, डाउनलोड, अन्य संशोधन, निविदा प्रस्तुत करने की तिथि एवं विस्तारीकरण/शुद्धिकरण आदि सम्बन्धी सूचनाओं हेतु www.pvvn.org एवं E-Tendering website www.etender.up.nic.in पर लॉग ऑन करें।

“राष्ट्र हित में बिजली बचायें”


08/07/24
अधीक्षण अभियन्ता (जानपद)
इ० वी० पी० कोशल
मेरठ
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत जानपद वितरण मण्डल
प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ



अल्पकालिक ई-निविदा हेतु नियम एवं शर्तें (वेबसाइट हेतु)

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ई-निविदा दो भागों में अल्पकालिक ई-निविदा पोर्टल के माध्यम से संलग्न **Pre-Qualification Criteria** के अनुसार निविदा में प्रतिभाग करने हेतु आमंत्रित की जाती है।

(1) निविदा विशिष्टीकरण संख्या:-20/वि0जा0वि0मं0/मेरठ/2024-25: उपखण्ड अधिकारी (जानपद) विद्युत जानपद वितरण उपखण्ड, मुजफ्फरनगर हेतु डीजल चलित वाहन (चालक सहित) किराये पर उपलब्ध कराने का कार्य। निविदा शुल्क रू0 1180.00 (जी0एस0टी0 सहित) धरोहर धनराशि रू0 3,400.00। कार्य अवधि-08 माह।

(2) निविदा विशिष्टीकरण संख्या:-21/वि0जा0वि0मं0/मेरठ/2024-25: 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र छुटमलपुर जिला सहारनपुर पर आवासीय भवन में संचालित उपखण्ड कार्यालय भवन के जीर्णोद्धार का कार्य। निविदा शुल्क रू0 1180.00 (जी0एस0टी0 सहित) धरोहर धनराशि रू0 17,000.00। कार्य अवधि-03 माह।


नियम एवं शर्तें:-

- निविदा अभिलेख ऑनलाईन 25.07.2024 तक उपलब्ध रहेंगे, जिसे डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा ऑनलाईन <http://etender.up.nic.in> साइट पर दिनांक 25.07.2024 को 17:00 बजे तक डाला/अपलोड किया जा सकता है।
- दिनांक 26.07.2024 को अपरान्ह 15:00 बजे तक तकनीकी भाग पत्र (भाग-प्रथम) ऑन लाइन खोला जायेगा, जिसके परीक्षणोपरान्त उपयुक्त/अर्ह पाये गये निविदादाताओं के वित्तीय भाग-पत्र (भाग-द्वितीय) ऑन लाइन खोले जायेंगे। निविदादाताओं की तकनीकी योग्यता संलग्न **Pre-Qualification Conditions for Tenderer** के अनुसार होना चाहिए। तकनीकी योग्यता पूरा न करने वाले निविदादाता के निविदा के वित्तीय भाग-पत्र (भाग-द्वितीय) नहीं खोला जाएगा।
- निविदा की वैधता निविदा का भाग-दो खुलने की तिथि से-04 माह होगी। अधोहस्ताक्षरकर्ता का अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को निरस्त कर सकता है अथवा कार्य एक या दो से अधिक ठेकेदारों में विभक्त किया जा सकता है।
- अर्हता नियम एवं शर्तों का विस्तृत विवरण www.etender.up.nic.in पर देखा जा सकता है अथवा अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से भी प्राप्त किया जा सकता है।
- निविदा डालने हेतु निविदादाता को उपरोक्त वेबसाइट <http://etender.up.nic.in> पर पंजीकृत होना अनिवार्य है। निविदाएं, ऑनलाईन डालने हेतु निविदादाता को यू0पी0 इलेक्ट्रानिक कारपोरेशन लि0, लखनऊ अथवा किसी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग अथारिटी द्वारा जारी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
- निविदा खुलने की तिथि पर आकस्मिक अवकाश पड़ जाने या इन्टरनेट/तकनीकी कारणों से बाधित होने पर निविदा अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- यदि फर्म द्वारा निविदा में प्रतिभाग करने हेतु निविदा शुल्क जमा कर दिया जाता है अथवा किन्हीं कारणों से प्रश्नगत निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त कर दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में निविदा शुल्क वापस नहीं होगा। अतः भविष्य में पुनः उक्त कार्य हेतु, यदि निविदा आमंत्रित की जाती है तो निविदा शुल्क पुनः जमा करना अनिवार्य होगा।

इ0सी0पी0 कोशल
अधीक्षण अभियन्ता
विद्युत जानपद वितरण मण्डल
प0वि0वि0नि0लि0, मेरठ

8. यदि किन्ही कारणों से यह निविदा निरस्त की जाती है तो इस निविदा के साथ जमा की गई धरोहर धनराशि को सम्बन्धित फर्म के पक्ष में अवमुक्त कर दिया जाएगा। यदि इस कार्य की पुनः ई-निविदा आमंत्रित की जाती है तो फर्म को पुनः धरोहर धनराशि जमा करना अनिवार्य होगा। पूर्व में जमा की गई धरोहर धनराशि नई ई-निविदा हेतु मान्य नहीं होगा।
9. उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की 53वीं बैठक में शासनादेश संख्या-622/23-12-2012-2 आडिट/08, टी0सी0-2, दिनांक 08.06.2012 में निहित प्राविधानों के अनुसार (10 प्रतिशत कम दर तक 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक कम दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी) अनुमानित दरों से कम दरों पर रेट डालने पर सम्बन्धित फर्म से निविदित लागत पर अतिरिक्त धनराशि सिक्योरिटी/परफारमेंस गारण्टी के रूप में अनुबन्ध के समय एफ.डी.आर./टी.डी. आर. अथवा एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से खाता संख्या-2512002100023637 of Superintending Engineer, Electricity Civil Distribution Circle, Civil Lines, Saket, Meerut (U.P.)-250001 IFSC Code no. PUNB0251200 के पक्ष में देय होगा।
10. निविदादाता निविदा में किसी भी प्रकार के परिवर्तन/संशोधन/शुद्धिपत्र हेतु ई-टेंडरिंग पोर्टल/वेबसाइट पर सजग रहे/देख सकते हैं।
11. जिन ठेकेदारों/फर्मों को कारपोरेशन अथवा अन्य किसी बोर्ड/संस्था/निगमों द्वारा वंचित/व्यापार निषिद्ध किया गया हो, तो वे ई-निविदा डालने हेतु पात्र नहीं होंगे।
12. यदि कोई ऐसी बात संज्ञान में आती है कि ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा के सम्बन्ध में कोई फर्जी प्रपत्र/दस्तावेज अपलोड किया गया है, तो ऐसी स्थिति में निविदाकार की निविदा निरस्त की जाएगी। साथ ही ऐसा करने वाली फर्म की धरोहर धनराशि जब्त करने अथवा वंचित/व्यापार निषेध अथवा दोनों कार्यवाही की जा सकती है।
13. निविदित फर्म द्वारा ई-निविदा में भाग लेते समय निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि को विभागीय खाता में हस्तान्तरित होने की पुष्टि के उपरान्त ही आनलाइन ई-निविदा भरी जाए। यदि निविदाकार द्वारा निविदा सूचना में उल्लेखित खाते के बजाय किसी अन्य विभागीय खाते में निविदा शुल्क एवं धरोहर धनराशि जमा कर दी जाती है तो उक्त शुल्क/धनराशि को अस्वीकार करते हुए उक्त फर्म का निविदा का भाग-2 नहीं खोला जायेगा।
14. कार्य स्वीकृति/प्रारम्भ करने हेतु निर्गत एल.ओ.आई. (L.O.I.)/एल.ओ.ए. (L.O.A.) में निर्धारित की गई तिथि तक अनुबन्ध न किये जाने की स्थिति में फर्मों के पक्ष में स्वीकृत निविदा को निविदा के साथ जमा की गई धरोहर धनराशि को जब्त करते हुए निविदा निरस्त की जा सकती है, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व निविदित फर्म का होगा। साथ ही यदि निविदित फर्म द्वारा बिना अनुबन्ध कराये कार्यस्थल पर कार्य सम्पादित कराया जाता है तो उसके भुगतान की जिम्मेदारी किसी भी दशा में विभाग की नहीं होगी। इसके लिए निविदित फर्म स्वयं जिम्मेदार होंगे।

“ राष्ट्र हित में बिजली बचायें ”


 Rakesh Kumar अधीक्षक (अभियन्ता) (विद्युत)
 अधीक्षक अभियन्ता
 विद्युत जानपद वितरण मण्डल
 प०वि०वि०नि०लि०, मेरठ